ISSN: 2584-0231(Online)
International Journal of Multidisciplinary Research in Arts, Science and Technology
© IJMRAST \ Vol. 1 \ Issue 5 \ December 2023
Available online at: https://ijmrast.com
DOI: https://doi.org/10.61778/ijmrast.v1i5.24

नई शिक्षा नीति 2020 और शिक्षक

डॉ. लोहंस कुमार कल्याणी
असिस्टेंट प्रोफेसर, बी.एड. विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज, गोंडा, (उ.प्र.)
Email: lohanskalyani@gmail.com

सारांश:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP-2020) को कुल चार भागों क्रमशः स्कूल शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, अन्य केन्द्रीय विचारणीय मुद्दे एवं क्रियान्वयन की रणनीति में विभक्त किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के पी.डी.एफ. प्रारूप में हिन्दी पाठ कुल 107 पृष्ठों में जबकि अंग्रेजी पाठ कुल 65 पृष्ठों में समाहित है। स्कूल शिक्षा सम्बन्धी प्रावधानों को कुल आठ अध्यायों के 143 बिन्दुओं में, उच्चतर शिक्षा सम्बन्धी प्रावधानों को कुल ग्यारह अध्यायों के 99 बिन्दुओं में, अन्य केन्द्रीय विचारणीय मुद्दे सम्बन्धी प्रावधानों को कुल पाँच अध्यायों के 54 बिन्दुओं में एवं क्रियान्वयन की रणनीति को कुल तीन अध्यायों के 12 बिन्दुओं में प्रस्तुत किया गया है।

निश्चय ही इस शिक्षा नीति का उद्देश्य ऐसे उत्पादक नागरिकों को तैयार करना है जो भारतीय संविधान द्वारा संकल्पित न्यायसंगत समावेशी व बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान कर सकें। इस क्रम में यह कहना उचित व आवश्यक होगा कि जिस शिक्षण संस्था में प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता है व उनकी उचित देखभाल की जाती है, जहाँ एक सुरक्षित व प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण होता है, जहाँ छात्रों को सीखने के विविध प्रकार के अनुभव प्रदान किये जाते हैं एवं जहाँ अधिगम हेतु बुनियादी ढाँचा व उपयुक्त संसाधन उपलब्ध होते हैं, उसे ही एक अच्छी शैक्षणिक संस्था माना जा सकता है। अतः सभी संस्थाओं का लक्ष्य इन सुविधाओं को जुटाना एवं विभिन्न संस्थानों के साथ जुड़ाव व समन्वय बनाना होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में लाये जाने वाले बदलावों के केन्द्र में शिक्षक समुदाय को रखना न केवल आवश्यक वरन अपरिहार्य होता है। वस्तुतः शिक्षा के क्षेत्र के सभी परिवर्तन बदलाव या नवोन्मेश प्रत्यक्ष अथवा परोक्षतः किसी न किसी रूप में शिक्षकों से सदर्भित रहते है।। इसलिए शिक्षकों की मान-मर्यादा, सम्मान, आत्मनिर्भरता, स्वायत्तता व सक्षमता को भी सुनिश्चित करना जरूरी है।

मूल शब्द: *राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्कूल शिक्षा, शिक्षक, नवाचारी विधि, समता, आदि*

प्रस्तावना :

प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में शिक्षा व्यवस्था का केन्द्र बिन्दु शिक्षक या गुरु रहा है, जिसके बिना जीवन का अर्थ समझ पाना संभव नहीं है। गुरु को ईश्वर की श्रेणी में रखा गया है जैसे –

गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः।

गुरु साक्षात्परमब्रह्म तस्मैश्री गुरुवे नमः।।

इस नई शिक्षा नीति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक की ही है। क्योंकि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। शिक्षा नीति में जो भी नए परिवर्तन हुये हैं उनको शिक्षक समझ कर विद्यार्थियों व अभिभावकों को समझाने की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक ही निभा रहे हैं। शिक्षकों की जिम्मेदारी भी बढी है।

नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। नीति में शिक्षकों के लिए कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों की बात की गई है जिनमें शिक्षकों के ताकतवर बनाने, उनकी प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाने, उनकी पेशेवर विकास के लिए प्रोत्साहन देने और उनकी शिक्षा क्षमता को बेहतर बनाने के लक्ष्य शामिल हैं।

स्रोत: विकिपीडिया

इस नीति के अनुसार, शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत और नौकरी में नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा नीति ने उन शिक्षकों को प्रोत्साहित किया है जो नवाचारी और उत्साही हैं, ताकि वे नई शिक्षा तकनीकों को अपना सकें और छात्रों को बेहतर तरीके से सिखा सकें।

नई शिक्षा नीति में शिक्षकों को नौकरी में समानता, उनकी पेशेवर स्थिति की सुरक्षा और उनकी शिक्षा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए संकेत किया गया है। यह नीति शिक्षकों को उनकी शिक्षा क्षमता को सुधारने के लिए नई शिक्षा तकनीकों, शिक्षा के प्रौद्योगिकियों और अन्य विकस्तता के उपायों का समर्थन प्रदान करने का भी विचार करती है।

इसके अलावा, नई शिक्षा नीति शिक्षकों को उनकी पेशेवर विकास के लिए संवेदनशीलता और नौकरी में समृद्धि के लिए संवेदनशीलता की ओर प्रेरित करती है। यह नीति शिक्षा क्षेत्र में नौकरी करने वाले लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता प्रदान करती है।

नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षकों की भूमिका:

1. शिक्षक बच्चों के भविष्य को आकार देकर राष्ट्र के भविष्य का भी निर्माण करते हैं। वर्तमान में शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता तथा शिक्षकों की भर्ती, पदस्थापन, सेवा शर्तों तथा अधिकारों की स्थिति ऐसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। शिक्षकों के लिए उच्चतर दर्जा तथा उनके प्रति आदर व सम्मान के भाव को सुनिश्चित करना होगा ताकि शिक्षण व्यवसाय में बेहतर लोगों को आने के लिए प्रेरित किया जा सके। छात्रों तथा राष्ट्र के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की प्रेरणा तथा सशक्तीकरण की जरूरत है।
2. उत्कृष्ट विद्यार्थी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र से, शिक्षण पेशे में आ सके इसके लिए 4 वर्षीय बी.एड. में अध्ययन हेतु बड़ी संख्या में मेरिट आधारित छात्रवृत्तियाँ दी जायेगी। स्थानीय छात्रों, विशेषकर छात्राओं को स्थानीय नौकरियाँ दी जायेगी। उत्कृष्ट शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों के लिए स्कूल परिसर में या आस-पास आवास देने का प्रावधान होगा या उनके आवास भत्ते में वृद्धि की जायेगी।
3. अत्यधिक शिक्षक स्थानान्तरण की हानिकारक व्यवस्था पर रोक लगाई जायेगी जिससे छात्र अपने रोल माडल तथा शैक्षिक वातावरण से निरन्तरता जारी रख सकें। शिक्षक स्थानान्तरण केवल विशेष परिस्थितियों में पारदर्शिता बनाये रखते हुए ऑन लाइन सॉफ्टवेयर आधारित व्यवस्था द्वारा किये जायेंगे।

4. शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को पाठ्यसामग्री व शिक्षणशास्त्र दोनों तरीकों से बेहतर परीक्षण सामग्री को सम्मिलित करके मजबूत किया जायेगा। टी.ई.टी. को स्कूल शिक्षा के सभी स्तरोंबुनियादी, प्रारम्भिक, मिडिल व माध्यमिक शिक्षकों के लिए विस्तृत किया जायेगा। शिक्षण के प्रति जोश व उत्साह कोजांचनेके लिए साक्षात्कार या शिक्षण प्रदर्शन को भी शिक्षक भर्ती का एक अभिन्न अंग बनाया जायेगा। निजी स्कूलों के शिक्षकों को भी समान रूप से योग्य होना चाहिए।
5. विभिन्न विषयों, विशेषकर कला, शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा भाषाओं, में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को एक स्कूल या स्कूल काम्पलैक्स में भर्ती किया जा सकता है एवं ग्रुपिंग ऑफ स्कूल्स (Grouping of Schools) के सरकारों द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार विभिन्न स्कूलों में उनकी साझेदारी की जा सकती है।
6. स्कूलों / कालेजों काम्प्लेक्सों में छात्रों को लाभान्वित करने तथा स्थानीय ज्ञान व व्यवसायों को संरक्षित रखने व बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विषयों जैसे पारम्परिक स्थानीय कला, व्यावसायिक शिल्प, उद्यमिता, कृषि या कोई अन्य में स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों/विशेषज्ञों को विशेष प्रशिक्षक के रूप में रखने को प्रोत्साहित किया जायेगा।
7. आगामी दो दशकों में शिक्षकों की अपेक्षित रिक्तियों का आकलन तकनीक आधारित तरीके से प्रत्येक राज्य द्वारा किया जायेगा। भर्ती व पदस्थापन की सभी नई पहलों का उद्देश्य सभी रिक्त पदों पर स्थानीय शिक्षकों सहित योग्य शिक्षकों की भर्ती करना होगा। शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम तथा आफरिंग्स (Offerings) इस प्रकार अनुमानित रिक्तियों के सामंजस्य में बनाये जायेंगे।
8. स्कूलों के कार्य वातावरण व संस्कृति में आमूल-चूल परिवर्तन करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों द्वारा अपना कार्य प्रभावी ढंग से करने के लिए उनकी क्षमताओं को अधिकतम करना होगा एवं यह सुनिश्चित करना होगा कि वे शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों, प्रधानाध्यापकों तथा अन्य सहायक कर्मचारियों के एक ऐसे समावेशी समुदाय का हिस्सा बन सकें जो सभी बच्चों के अधिगम को सुनिश्चित करने का कामन लक्ष्य रखता है।
9. इस दिशा में पहला कदम स्कूलों में सभ्य व सुखद कार्य स्थिति बनाने की होगी। इसके लिए सभी स्कूलों में पर्याप्त व सुरक्षित आधार-संरचना मुहैया कराना होगा ताकि सभी महिलाओं व दिव्यांगों सहित सभी को सुरक्षित, समावेशी व प्रभावी शिक्षण वातावरण मिल सकें तथा वे पढ़ने-पढ़ाने में सहज व प्रेरित महसूस कर सकें। सेवारत प्रशिक्षण में कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर इनपुट्स् (Inputs) रहेंगे जिससे सभी शिक्षक इनके प्रति संवेदनशील हो सकें।
10. पहुँच में कमी किये बिना विद्यालय संकुल, विद्यालयों का तार्किकरण (Rationalization) जैसे नवाचारी प्रारूपों को प्रभावी स्कूली प्रशासन, संसाधन साझेदारी तथा समुदाय निर्माण के लिए अपनाया जा सकता है। शिक्षकों को आगे बढ़ाने तथा सीखने के लिए प्रभावी सामुदायिक वातावरण बनाने में मदद रखने के लिए स्कूल काम्प्लेक्सों के द्वारा परामर्शदाताओं, प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा तकनीकी व रखरखाव कर्मचारियों आदि को भी साझा किया जा सकता है।
11. स्कूल प्रबन्धन समिति/स्कूल कॉम्पलैक्स प्रबन्धन समिति के सदस्य के रूप में एवं अभिभावकों व अन्य प्रमुख स्थानीय हितधारकों के साथ सहयोग करते हुए शिक्षकगण स्कूल/स्कूल कॉम्प्लेक्स के प्रशासन में अधिक प्रतिभाग करेंगे।
12. गैर-शैक्षणिक गतिविधियों में शिक्षकों का समय व्यतीत होने से रोकने के लिए शिक्षक को ऐसे कार्य, जो शिक्षण से सीधे सम्बन्धित नहीं हैं, को करने की अनुमति नहीं होगी। शिक्षकों को जटिल प्रशासनिक कार्य तथा मध्याह्न भोजन (Midday Meal) कार्य के लिए तर्कसंगत न्यूनतम समय से अधिक समय के लिए शामिल नहीं किया जायेगा जिससे वे पूरी तरह से शिक्षण अधिगम कार्य पर ध्यान दे सकें।
13. स्कूल में सीखने के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए प्रधानाचार्यों तथा शिक्षकों की अपेक्षित भूमिका में शामिल होगा कि वे अपने स्कूलों में प्रभावी अधिगम तथा हित धारकों के लाभार्थ संवेदनशील व समावेशी संस्कृति का निर्माण करें।

14. शिक्षकों को पाठ्यक्रम व शिक्षण पहलुओं का चुनाव करने में अधिक स्वायत्तता दी जायेगी जिससे वे प्रभावी तरीकों से पढ़ा सकें। शिक्षक छात्रों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से जरूरी सामाजिकसंवेगात्मक अधिगम पर भी ध्यान देंगे। अपनी कक्षाओं में अधिगम परिणामों को बढ़ाने वाली नूतन शिक्षण विधि अपनाने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जायेगा।
15. शिक्षक को खुद में सुधार करने तथा पेशे से सम्बन्धित आधुनिक विचार व नवाचार को सीखने के लिए सतत अवसर दिये जायेंगे। इन्हें कार्यशालाओं के साथ ऑनलाइन शिक्षक विकास मोडयूल के रूप में कई तरीकों में प्रस्तुत किया जायेगा। प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षित होगा कि वे प्रत्येक वर्ष लगभग 50 घण्टे सतत् व्यावसायिक विकास (CPD) कार्यक्रम में भाग लें। सी. पी. डी. के अवसरों में नवीनतम शिक्षण शास्त्र, रचनात्मक ऑकलन, योग्यता-आधारित अधिगम आदि को क्रमबद्ध रूप में सम्मिलित किया जायेगा।
16. स्कूल प्रधानाचार्यों तथा स्कूल काम्पलेक्स प्रमुखों के लिए अपने नेतृत्व व प्रबन्धन को निरन्तर विकसित करने के लिए मॉड्यूल/कार्यशाला/ऑनलाइन अवसर होंगे जिससे वे अपनी सर्वोत्तम प्रेक्टिस को भी साझा कर सकेंगे। इनसे अपेक्षित होगा कि वे प्रतिवर्ष 50 या अधिक घंटों के सी. पी. डी. कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसमें लीडरशिप तथा प्रबन्धन के साथ-साथ विषयवस्तु व शिक्षण शास्त्र सम्बन्धी कार्यक्रम शामिल होंगे।
17. उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की पहचान करके उन्हें पदोन्नति व वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए जिससे सभी शिक्षकों को बेहतरीन कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। शिक्षकों के सही आकलन के लिए सहकर्मी समीक्षा, उपस्थिति, समर्पण, सी.पी.डी. घंटे तथा स्कूल व समुदाय में की गयी अन्य सेवा या पैरा 5.20 में दिये एन.पी.एस.टी. पर आधारित मल्टीपल पैरामीटर्स की व्यवस्था बनायी जायेगी।
18. कार्यकाल, पदोन्नति, वेतनवृद्धि आदि के संदर्भ में कैरियर वृद्धि को एकल स्कूल चरण (मूलभूत, प्रारम्भिक, मिडिल या माध्यमिक) में ही सुनिश्चित किया जायेगा परन्तु शिक्षक की इच्छा व योग्यता होने पर चरणों के अन्दर कैरियर प्रगति की अनुमति होगी। वस्तुतः स्कूली शिक्षा में सभी चरणों में उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षकों की जरूरत होगी तथा किसी भी चरण को किसी अन्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जायेगा।
19. योग्यता के आधार पर वर्टिकल मोबिलिटी भी महत्वपूर्ण हो सकती है, नेतृत्व व प्रबन्धन के कौशलों को दर्शाने वाले उत्कृष्ट शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा जिससे वे आगे चलकर स्कूल, स्कूल काम्पलैक्स, बी.आर.सी., सी.आर.सी., बी.आई.टी.ई., डी.आई.ई.टी. के साथ-साथ सम्बन्धित सरकारी विभागों में अकादमिक नेतृत्व कर सकें।
20. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा सन् 2022 तक सामान्य मानक परिषद (GEC) के अन्तर्गत व्यावसायिक मानक निर्धारण निकाय (PSSB) के रूप में पुनर्गठित अपने नये स्वरूप में शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (NPST) का एक सामान्य मार्गदर्शक सेट तैयार किया जायेगा। सन् 2030 में राष्ट्रीय स्तर पर मानकों की समीक्षा व संशोधन किये जायेंगे एवं तत्पश्चात प्रत्येक दस वर्षों में गुणवत्ता का आनुभाविक विश्लेषण किया जायेगा।
21. स्कूली शिक्षा के क्षेत्रों में विशिष्ट शिक्षकों की भी अति आवश्यकता है जो दिव्यांग / विकलांग बच्चों, सीखने में कठिनाई वाले छात्रों सहित, को शिक्षण कर सकें। इनमें विषय ज्ञान के साथ छात्रों की विशेष जरूरतों को समझने का कौशल भी होना चाहिए। इसके लिए शिक्षकों में द्वितीय विशेषज्ञता विकसित की जा सकती है। एन.सी.टी.ई. तथा आर.सी.आई. के पाठ्यक्रमों में भी व्यापक तालमेल बैठाया जाना चाहिए।
22. शिक्षक शिक्षा को चरणबद्ध ढंग से वर्ष 2030 तक बहु-विषयक कालेजों तथा महाविद्यालयों में ही संचालित किया जायेगा। उनका लक्ष्य ऐसे उत्कृष्ट शिक्षा विभाग स्थापित करना होगा जो शिक्षा में बी.एड., एम.एड. तथा पी-एच.डी. की डिग्री प्रदान करेंगे।
23. वर्ष 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री होगी। परन्तु विशिष्ट विषयों में स्नातक डिग्री प्राप्त व्यक्तियों के लिए 2 वर्षीय बी.एड. तथा चार वर्षीय बहुविषयक स्नातक डिग्री या किसी विशिष्टता में परास्नातक डिग्री वालों के लिए एक वर्षीय

बी.एड. भी चलाया जा सकता है। चार वर्षीय बी. एड. वाले तथा मुक्त दूरस्थ शिक्षण की मान्यता रखने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों के द्वारा दूरदराज के छात्रों व सेवारत शिक्षणों के लिए मिश्रित या ओ.डी.एल. प्रणाली (ODL Mode) से बी. एड. कार्यक्रम चलाया जा सकता है।

24. सभी बी.एड. कार्यक्रमों में जाँची-परखी तकनीकों के साथ-साथ नवीनतम तकनीकी का प्रशिक्षण दिया जायेगा। कक्षा में व्यावहारिक शिक्षण-प्रशिक्षण शामिल किया जायेगा तथा भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्त्तव्यों व अन्य प्रावधानों के पालन पर बल दिया जायेगा। इसमें पर्यावरण के प्रति जागरुकता, संरक्षण व सतत विकास के प्रति संवेदनशीलता को एकीकृत किया जायेगा।
25. स्थानीय व्यवसाय, ज्ञान व कौशलों को बढ़ावा देने के लिए जिन प्रख्यात स्थानीय व्यक्तियों की सेवाएँ मास्टर प्रशिक्षकों के रूप में ली जायेंगी उनके लिए बी.आई.टी.ई., डी.आई.ई.टी. या स्कूल संकुलों में अल्प अवधि के विशेष शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम चलाये जायेंगे।
26. शिक्षण के विशिष्ट क्षेत्रों जैसे विशेष जरूरत वाले छात्रों का शिक्षण या स्कूल शिक्षा प्रणाली में नेतृत्व व प्रबन्धन या विभिन्न शिक्षा स्तरों के बीच एक स्तर से दूसरे स्तर में स्थानान्तरण की इच्छा रखने वाले शिक्षकों को बी.एड. के बाद अल्प अवधि के कुछ प्रमाणपत्र कार्यक्रम व्यापक रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।
27. एन.सी.ई.आर.टी. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित शिक्षण की विविध विधियों का अध्ययन, शोध, प्रलेखन व समेकन करके संस्तुत करेगा कि इनमें से किन्हें भारत में अपनाया जा सकता है।
28. एन.सी.टी.ई. के द्वारा व्यापक परामर्श व चर्चा के आधार पर नई शिक्षा नीति-2020 के सिद्धान्तों के अनुरूप एक नवीन व व्यापक अध्यापक शिक्षा हेतु एन.सी.एफ.टी.ई.-2021 तैयार की जायेगी। इसे प्रत्येक 5-10 वर्षों में जरूरत के अनुसार संशोधित किया जायेगा।
29. अध्यापक शिक्षा प्रणाली की प्रामाणिकता को बनाये रखने के लिए निम्नस्तरीय स्टैंड अलोन (Stand Alone) अध्यापक शिक्षा संस्थाओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी तथा जरूरी होने पर उन्हें बन्द कर दिया जायेगा।

निषकर्ष :

नई शिक्षा नीति 2020 भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है जो शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने और शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशा मिलाने का प्रयास कर रही है। यह नीति शिक्षा के सभी पहलुओं पर प्रकारी नजर रखती है, जैसे कि पाठ्यक्रम, शिक्षकों की तैयारी, और शिक्षा के प्रणाली में सुधार। इसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभिवृत्ति और व्यवसाय में शिक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है ताकि छात्र अध्यन के लिए नई और रोचक विषयों का अध्ययन कर सकें।

इस नई शिक्षा नीति के अनुसार, शिक्षकों को भी नई दिशा और संवेदनशीलता के साथ पढ़ाया जाएगा। उन्हें नई तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करना सिखाया जाएगा ताकि वे छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रेरित कर सकें। शिक्षक छात्रों के साथ अध्यन के दौरान सहयोग और संप्रेषण बढ़ाने के लिए प्रेरित किए जाएंगे ताकि छात्र अपनी रुचि और श्रेष्ठता के क्षेत्र में अध्ययन करने में संवेदनशील हों।

इस नई शिक्षा नीति के परिणामस्वरूप, शिक्षक छात्रों को न केवल पाठ्यक्रम से संबंधित ज्ञान प्रदान करेंगे, बल्कि उन्हें जीवन कौशल, नैतिक मूल्य, और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में भी मार्गदर्शन प्रदान करना होगा। इस प्रकार, नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा को एक नई दिशा और मानवीय मूल्यों की ओर मोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाएगी और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दिशा में प्रेरित करेगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:

[1]. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: Retrieved from https://www.education.gov.in/en

[2]. Goel, D.R., Goel Chhaya. (2021): Teacher education scenario in India: current problems & concerns. MIER Journal of Educational Studies. Trends & Practices, 2(2), 231- 242.

[3]. Nandini, ed. (29 July 2020): "New Education Policy 2020 Highlights: School and higher education to see major changes". Hindustan Times.

[4]. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf

[5]. मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 https://innovate.mygov.in/wpcontent/uploads//06/2019mygov.15596510111pdf

[6]. प्रो.गुप्ता एस.पी., डॉ. गुप्ता अलका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: एक सरल परिचय प्रष्ट संख्या (24-27)

[7]. योजना पत्रिका

[8]. अन्य पेपर लेख

Cite this Article

*डॉ.लोहंस कुमार कल्याणी, "**नई शिक्षा नीति** 2020 **और शिक्षक** ", International Journal of Multidisciplinary Research in Arts, Science and Technology (IJMRAST), ISSN: 2584-0231, Volume 1, Issue5, pp. 01-06, December 2023.*

***Journal URL:** https://ijmrast.com/*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.